

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ. 10(35)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक :-

18 JUN 2010

सचिव,  
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक,  
राजस्थान, जयपुर

निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
राजस्थान जयपुर।

सचिव,  
नगर विकास न्यास,  
अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवारी/भिलवाड़ा/बीकानेर/आबू/  
कोटा/उदयपुर/श्री गंगानगर/जसलमेर

विषय :- ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार भू-उपयोग निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जा सकता है कि ऐसे शहर/कस्बों जिनमें मास्टर प्लान वर्तमान में प्रभावी है तथा आगामी वर्षों के लिए प्रारूप मास्टर प्लान जारी किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

1. यदि किसी भूमि का भू-उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान में प्रभावी मास्टर प्लान से भिन्न है तो ऐसे प्रकरणों में दो वर्ष तक भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. ड्राफ्ट मास्टर प्लान में जो भू-उपयोग दर्शाया गया है, अगर भूमि का भू-उपयोग उसी उपयोग के लिए आवेदित किया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन/भूमि रूपान्तरण (90बी) की कार्यवाही सक्षम स्तर पर की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति अलग से लिये जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रकरण सक्षम समिति द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के आधार पर निर्णित किये जा सकते हैं।

भवदीय,

(पुरुषोत्तम बियाणी)  
शासन उप सचिव

dc  
कल